क़ुरबानी –

नियम व आधुनिक समस्याएँ

ज़िल हिज्जा के प्रथम 10 रातों की विशिष्टता

अल्लाह तआला ने ज़िल हिज्जा के आरम्भ के 10 रातों की प्रतिभा व उत्तमता प्रकट करते हुए सुरह अल फज्र में इस की कसम ज़िक्र की है।

भाषांतरः कसम है सवेरे की और दस रातों की, और कसम है युग्म और अयुग्म (सम और विषम) की।

(सुरह अन नज्मः 89:1,2,3)

10 रातों से तात्पर्य कौनसी रातें हैं इस का स्पष्टीकरण व तफसीर ह्दीसः पाक में वर्णन हैः-

भाषांतरः ह्ज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ह्ज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः 10 रातों से तात्पर्य ज़िल हिज्जा की 10 रातें हैं, वत्र से तात्पर्य नौवीं ज़िल्ल हिज्जा अरफे का दिन है तता शफअ से तात्पर्य दसवीं ज़िल हिज्जा क़ुरबानी का दिन है।

(मुसनद अह्मद, ह्दीस संख्याः 14885)

www.Ziaislamic.com

ज़िल हिज्जा के 10 दिनों में इबादत से संबंधित जामेअ तिरमिज़ी में सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का धन्य आदेश हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, वह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आप ने आदेश कियाः ज़िल हिज्जा के आरम्भ 10 दिनों में की जाने वाली इबादत अल्लाह तआला के दरबार में दुसरे दिनों की जाने वाली इबादत से अधिक महबूब व प्रिय है। इस में एक दिन का रोज़ा वर्ष भर के रोज़ों के समान पुण्य व सवाब रखता है तता इस की एक रात का क़ियाम शबे-क़द्र में इबादत करने के समान पुण्य व सवाब रखता है।

(जामेअ तिरमिज़ी, जिल्द 01, पः 158, हदीस संख्याः 763)

अधिक सहीह बुखारी में हदीसः पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं के आप (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने आदेश कियाः कोई अमल ऐसा नहीं जो इन दिनों के अमल से उच्च हो, सहाबा किराम ने निवेदन कियाः और जिहाद? फरमायाः जिहाद भी नहीं, सिवाए इस मुजाहिद (धर्मयोद्धा) व्यक्ति के जो अपनी जान तथा अपने धन को संकट में ड़ाल कर विरोधी से सामने करे तथा कुछ ले कर वापस ना लौटे।

(सहीह बुखारी, हदीस संख्याः 926)

शुअबुल ईमान में रिवायत हैः-

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः हज़रत हारून बिन मूसा वर्णन करते हैं, मैं ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना वह हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित करते हैः ज़िल हिज्जा के 10 दिन का प्रत्येक दिन, सवाब में 1000 दिन के समान है तथा अरफे का दिन, 10,000 दिनों के समान प्रतिभा व उत्तमता है।

(शुअबुल ईमान, लिल बैहखी, हदीस संख्याः 3607)

अधि पीराने पीर ग़ौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अल ग़ुनया लित तालिबी तरीक़िल हक़्क़ी में रिवायत व्याख्या की हैः-

भाषांतरः जो ज़िल हिज्जा के 10 दिनों की किसी रात इबादत करे जैसे वह इस वर्ष हज्ज तथा वर्ष भर उमरा करने वाले के समान इबादत करने वाला घोषित पाएगा तथा जो व्यक्ति इन 10 दिनों में किसी दिन रोज़ा रखे तो जैसे इस ने वर्ष भर अल्लाह तआला की इबादत की।

(अल ग़ुनया लित तालिबी तरीक़िल हक़्क़ी, जिल्द 02, पः 25)

इस 10 दिनों में पालन व फर्माबरदारी, इबादत व बन्दगी का अनुदेश वर्णन हैः- अल ग़ुनया लित तालिबी तरीक़िल हक़्क़ी, जिल्द 02, पः 25 में एक और हदीसः पाक वर्णित है, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः

भाषांतरः जब ज़िल हिज्जा के 10 दिन आरम्भ हो जाए तो इबादत व पालन का खूब प्रबन्ध करो क्यों के ये वह दिन हैं जिन्हें अल्लाह तआला ने उत्तमता व प्रतिष्ठा प्रदान की है तथा इन की रात को भी दिन के प्रकार उत्तमता व सम्मान वाली बनाया है।

www.Ziaislamic.com

ज़िल हिज्जा के 10 दिन में चंद विशेष कर्म रखे गए हैं जो सवाप व पुण्य के माध्यम तथा अल्लाह तआला से निकटता का माध्यम हैः

(1)- इन धन्य दिनों में क्यों के हज्ज के कर्म परिणाम दिए जाते हैं, हाजी लोग अहराम की स्थिति में होते हैं, इस लिए इन से एक प्रकार की समानता व सरूपता अपनाए हुए विशेष रूप से क़ुरबानी करने वालों के लिए मुसतहब है के प्रथम ज़िल हिज्जा से क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करने तक नाखून तराशने तथा बाल कतरने से मना किया। अर्थात सहीह मुसलिम में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत उमर बिन अम्मार बिन उकैमा लैसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, उन्हों ने फरमायाः मैं ने हज़रत सईद बिन मुसैयिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सुना, वह फरमाते हैं- मैं ने हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाते हुए सुनाः हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः जिस व्यक्ति के पास ज़िबा करने के लिए जानवर हो वह जब ज़िल हिज्जा के महीने का चाँद देखे अपने बाल ना निकाले तथा ना नाखून तराशे। यहाँ तक के क़ुरबानी कर लें।

(सहीह मुसलिम, जिल्द 02, पः 160, हदीस संख्याः 5236)

(2)- नवीं ज़िल हिज्जा की फज्र से तेरहवीं की असर तक प्रत्येक फर्ज़ नमाज़ जमात के संपादन के बाद इसलाम जाति लोग महिलाएँ व पुरुषों तकबीर तशरीक़ का अवश्य प्रबन्ध करें।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 01, किताब उस सलाह, पः 152)

तकबीर तशरीक़

www.Ziaislamic.com

तकबीर तशरीक़ का एक बार कहना वाजिब एवं 3 बार कहना उच्च व श्रेष्ठतर है, तकबीर तशरीक़ ये हैः-

लिप्यंतरणः- *अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इलल्लाहु वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द*।

(3)- ज़िल हिज्जा के प्रारम्भ दिनों में रोज़ों का प्रबन्ध करें, कम से कम नवीं ज़िल हिज्जा (अरफे का दिन) का रोज़ा रखें जो मसनून तथा बड़ी उत्तमता के योग्य है।

अर्थात सहीह मुसलिम में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का धन्य आदेश हैः-

भाषांतरः प्रत्येक महीना 3 दिन रोज़ा रखना तथा एक रमज़ान के बाद दुसरे रमज़ान के रोज़े रखना, सम्पूर्ण जीवन रोज़े रखना, सम्पूर्ण जीवन रोज़े रखने के समान सवाब व पुण्य रखता है, तथा अरफा के दिन का रोज़ा रखने के कारण से मुझे उम्मीद है के आशुरे का रोज़ा रखने के कारण अल्लाह तआला एक वर्ष पूर्व के पाप क्षमा फरमा देगा।

(सहीह मुसलिम, किताब उस सियाम, जिल्द 01, पः 368, हदीस संख्याः 2803)

(4)- निसाब वाले साहिब क़ुरबानी के दिन में अनिवार्य रूप से क़ुरबानी का प्रबन्ध करें।

क्षमता ना रखने वालों के लिए क़ुरबानी के सवाब की शुभ-सूचना

जो व्यक्ति क़ुरबानी करने की क्षमता व सामर्थ्य नहीं रखता इस के लिए सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये शुभ-सूचना प्रदान की के वह

www.Ziaislamic.com

अधिक बाल निकालें, नाखून तराशे, मूँछ कतरे तथा ज़ेर नाफ (नाफ के नीचे) के बाल साफ कर लें तो उसे सम्पूर्ण क़ुरबानी का सवाब व पुण्य प्राप्त होगा। अर्थात सुनन अबु दाऊद शरीफ में हदीसः पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः मुझे क़ुरबानी के दिन ईद मनाने का आदेश किया गया, अलाह तआला ने उसे इस संप्रदाय के लिए ईद घोषित दाय, एक सहाबी ने विनती कीः मेरे पास क़ुरबानी करने की क्षमता नहीं किन्तु आरयतन (गृहीत) दी गई एक दूध वाली बकरी है, तो क्या मैं इस की क़ुरबानी कर दुँ? सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः नहीं, किन्तु तुम अपने धन निका लो, नाखून तराशो, मूँछ कतरो तथा नाफ के नीचे बाल साफ करो तो यही अल्लाह तआला के नज़दीक तुम्हारी सम्पूर्ण क़ुरबानी है।

(सुनन अबु दाऊद, जिल्द 02, पः 385, हदीस संख्याः 2791)

इसलाम एवं क़ुरबानी की सच्चाई

इसलाम के अर्थ पालन व फर्माबरदारी, तसलीम व सुपुर्दगी एवं समर्पण के हैं, जो शैतानी, अहंकार खुद-आभूषण के विरुद्ध है। इसलाम के सम्पूर्ण प्रावधान व अहकाम में यही अर्थ प्रकट है के बन्दा अपने नफ्स और शैतान के विरुद्ध करे तथा अल्लाह तआला का पालन व फर्माबरदारी में हमेशा व्यस्त हो जाएँ।

अपनी इच्छा व मरज़ी को छोड़ कर अल्लाह तआला की संतुष्टि व प्रसन्नता प्राप्त करने में व्यस्त हो जाएं, अपने सुझाव व उद्देश्य को अल्लाह तआला के अनुमोदन के आगे त्याग कर दें, घमण्ड, अहंकार व अभिमान को छोड़ कर अल्लाह तआला के आदेश का पालन करें, क़ुरबानी का अर्थ व तात्पर्य तथा क़ुरबानी की सच्चाई यही है।

www.Ziaislamic.com

जब तक बन्दा अपनी क्षमता व शक्ति, सोंच-चिनता, शरीर व जान, धन व सम्पत्ति, योग्यता अपना सब कुछ अल्लाह तआला की राह में खर्च करने का पक्का उद्देश्य ना करे तथा इन चीज़ों के द्वारा अल्लाह तआला की निकटता व नज़दीकी प्राप्त करने की नीयत ना करे सत्य मुसलमान घोषित नहीं पाता, तथा वह व्यक्ति ईमान की हलावत सधुरता से उजागर नहीं होता है जो उल्लंघन करता हो तथा अपने भीतर पालन व फर्माबरदारी की भावना ना रखता हो।

हज़रत इबराहीम व इसमाईल अलैहस सलाम की क़ुरबानी

उच्च बैगम्बरों, जान निसार सहाबा, सम्मानित सालिहीन व बुज़ुर्गान दीन के जीवन इसी सत्य क़ुरबानी से इबारत हैं। इन के जीवन के दिन व रात, महीने व वर्ष क़ुर्बानियों की गवाही दे रहे हैं। ये क़ुरबानी ही थी के हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम ने पिता की मुहब्बत के बावजूद अल्लाह तआला के आदेश के पेश नज़र अपनी आदरणीय पत्नी हाजिरा अलैहस सलाम तथा अपने पुत्र हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम को बिना पानी-भोजन स्थान में छोड़ दिया जहाँ ना कोई मनुष्य तथा ना ही पक्षी व जीव।

जब हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम 13 वर्ष की उम्र को पहुँचे तो अल्लाह तआला के आदेश के समपान करते हुए हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम ने पिता की मुहब्बत को क़ुर्बान व त्याग कर दिया, तथा अपने पुत्र के गरदन पर छुरी चलाने के लिए तैयार हो गए हज़रत इसमाईल अलैहिस सलाम ने भी उच्च शौक़ व ज़ौख़ से अपनी गरदन झुका दी, तथा अपनी जान जान अफरीं के लिए क़ुबान व त्याग करने के लिए तैयार हो गए।

ये क़ुरबानी ही तो है के जब नमरूद ने शअले बार, भड़कती आग तैयार की तथा हज़रत इब्राहीम अलैहिस सलाम को आग में ड़ालना चाहा तो देखते हुए अँगारे एवं विनाशक सोज़िश आप को अल्लाह तआला की संतुष्टि के विरुद्ध प्रभाव करने पर आमदह ना कर सकी तथा आप नमरूद की आग में उतरने के लिए तैयार हो गए।

www.Ziaislamic.com

सहाबा किराम व अहले बैत इज़ाम तथा क़ुरबानी

ये क़ुरबानी ही थी के सहाबा किराम व अहले बैत इज़ाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने मक्के में दोलत व क्षमता, अधिकार छोड़ कर नातेदार व रिश्तेदार, देश एवं सारे संबंध छोड़ कर के मदीने तैयिबा प्रवासन किया. बदर व हुनैन एवं अन्य युद्धों में तीरों की वर्षा तथा तलवारों के साये में रात दिन बसर किए, ये क़ुरबानी ही थी के खुलेफा राशिदीन ने अपनी-अपनी खिलाफत के ज़माने में जान अल्लाह तआला के दरबार में पेश कर दी।

ये क़ुरबानी ही थी के जिगर गोशा रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमाम हसन व इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने और अहले बैते- नबवूत के एक-एक सदस्य ने अपनी जानों को अल्लाह तआला के हवाले कर दिया।

इसी प्रकार प्रत्येक काल से इस सदी तक देखें तो इसलाम के इतिहास का एक-एक पन्ना धर्म के पूर्वजों व बुज़ुर्गाने-दीन की क़ुर्बानियों से रंगीन नज़र आएगा।

इसलाम के अहकाम व प्रावधान, इबादतें व मामलात, में क़ुर्राबानी का तात्पर्य नज़र आता है। नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज्ज में बन्दा अपनी राय व सुझाव को छोड़ कर अल्लाह तआला के आदेश पर अमल करता है। विवाह व तलाक, व्यापार व कारोबार में अपनी इच्छा को छोड़ देता है तथा ये सम्पूर्ण मामलात, अल्लाह तआला के आदेश के अनुसार परिणाम देता है।

इस से मालूम हुआ के आज्ञापालन व फर्माबरदारी तथा मुसलमान व क़ुरबानी के बीच गेरा सम्पर्क है। इसलाम के प्रावधान व अहकाम में क़ुरबानी का तात्पर्य पाए जाने के बावजूद अल्लाह तआला ने वर्ष में एक बार एक जानदार को विशेष रूप से ज़िबा करने का आदेश दिया ताकि अहकाम के परदे से स्पष्ट होने वाला तात्पर्य तथा इसलामी शिक्षण के उद्देश्य को प्रत्येक्ष के द्वारा भी महसूस किया जा सके तथा अहले-इसलाम में जहाँ क़ुरबानी की भावना स्थापित हो रही है वह फिर से

www.Ziaislamic.com

अपनी हरारत के साथ उभरे तथा जहाँ क़ुरबानी की भावना सम्पूर्ण है वह अधिक उच्चता के स्तर प्राप्त करे तथा भावना को अटल रखें।

क़ुरबानी – अल्लाह तआला से नज़दीकी का माध्यम

क़ुरबानी का अर्थ नज़दीकी व निकटता प्राप्त करने के हैं, प्रत्येक वह चीज़ जिस से एक मोमिन बन्दा अल्लाह तआला की निकटता व नजदीकी (एकांत) प्राप्त करता है, क़ुरबानी के अर्थ व तात्पर्य में शामिल हैं।

मनुष्य अपने समय व पल को, अपनी सम्पूर्ण गुणों व कलाओं को, अपने धन व सामान को यहाँ तक के अपनी प्रिय जान को अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए क़ुर्बान व त्याग कर दे तब भी सत्य बन्दगी संपादन नहीं हो सकती।

अल्लाह तआला के नेक बन्दों की धन्य जीवनों से हमें यही सन्देश व प्रवचन मिलता है। विशेष रूप से हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस सलाम की धन्य जात के सम्पूर्ण क्षेत्र इसी विशाल क़ुरबानी की बेमिसाल तजल्लियों से भर-पूर है।

अल्लाह तआला के दरबार में क़ुरबानी करना महबूब व मतलूब है। इस के बिना बन्दा नेकोकारी प्राप्त नहीं कर सकता। अल्लाह तआला का आदेश हैः-

भाषांतरः तो आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए और क़ुरबानी कीजिए।

(सुरह अल कौसरः 108:02)

क़ुरबानी का तात्पर्य तथा इस का उद्देश्य आज्ञापालन व बन्दगी है। क़ुरबानी के जानवर का गोश्त, खून आदि अल्लाह तआला के दरबार में नहीं पहुँचता, बल्कि अल्लाह तआला बन्दे की परहेज़गारी तथा इस का इक़लास देखता है।

www.Ziaislamic.com

जैसा के अल्लाह तआला का आदेश हैः-

भाषांतरः क़ुरबानी का ना गोश्त (माँस) अल्लाह तआला को पहुँचता है तथा ना खून किन्तु तुमह्मारा तक़वा (धर्मपरायणता) इस के दरबार में पहुँचता है।

(सुरह अल ह्ज्जः 22:37)

क़ुरबानी की प्रतिष्ठा

क़ुरबानी के अनेक प्रतिष्ठा तथा उसके सवाब व पुण्य ह्दीसों में वर्णन हैं। ईदुल अज़्हा के दिन अल्लाह तआला के पास सर्व प्रिय व महबूब कर्म व अमल क़ुरबानी करना है। जानवर का खून प्रथम स्वीकृत स्थान में पहुँचता है, उस के बाद धरती पर गिरता है।

अर्थात क़ुरबानी का अमल अत्यन्त खुशदिली व प्रसन्ना के साथ करना चाहिए। जामेअ तरिमिज़ी में ह्दीसः पाक हैः-

भाषांतरः ह्ज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वर्णित है ह्ज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः मानव क़ुरबानी के दिन कोई अमल नहीं करता जो अल्लाह तआला के पास खून बहाने से अधिक प्रसन्न व पसंदीदह हो, निश्चय वह क़ियामत के दिन अपने सींग, बाल तथा खरों के साथ आएगा। और क़ुरबानी का खून, धरती पर गिरने से पूर्व अल्लाह तआला के दरबार में स्वीकृत प्राप्त कर लेता है। तो तुम प्रसन्नता के साथ क़ुरबानी किया करो।

(जामेअ तिरमिज़ी, जिल्द 01, पः 275, ह्दीस संख्याः 1572)

जानवर के प्रत्येक बाल के बदले एक विशाल नेकी

www.Ziaislamic.com

क़ुरबानी के सवाब व पुण्य से संबंधित सुनन इब्न माजह में हदीसः पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना ज़ैद बिन अरखम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! ये क़ुरबानियाँ क्या है? सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः तुम्हारे पिता इब्राहीम अलैहिस सलाम की सुन्नत है, सहाबा किराम ने निवेदन कियाः तो इश में हमारे लिए क्या है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः छोटे से बाल के बदले एक विशाल नेकी है, सहाबा ने विनती कीः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! फिर ऊन के बारे में क्या आदेश है? हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः ऊन के छोटे से बाल के बदले क विशाल व बड़ी नेकी है।

(सुनन इब्न माजह, जिल्द 02, पः 226, हदीस संख्याः 3247)

ईदुल अज़्हा के दिन इस धन से श्रेष्ठतर व उच्च कोई धन नहीं जो क़ुरबानी के लिए खर्च किया जाता है, जैसा के शुअबुल ईमान में हदीसः पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः ईद के दिन सब से सर्वश्रेष्ठ दिरहम वह जो ज़िबा किए जाने वाले जानवर में खर्च किया जाए।

(शुअबुल ईमान, जिल्द 05, पः 482, हदीस संख्याः 7084)

श्रेष्ठ व उच्च क़ुरबानी कौनसी है?

www.Ziaislamic.com

क़ुरबानी के जानवरों की क़ीमतें व मूल्य बढ़ जाती है तो कुछ लोग चिन्तित होते हैं तथा इन पर क़ीमतों का समावेश व इज़ाफा बड़ा बोझ गुज़रता है किन्तु इस के कारण से दिल छोटा नहीं करना चाहिए बल्कि प्रसन्नता व खुशदिली के साथ क़ुरबानी करनी चाहिए, इस से संबंधित कंज़ुल उम्माल में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत अबु असद सुलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पिता से वह अपने दादा से वर्णित करते हैं, उन्हों ने फरमायाः मैं हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ 7 सदस्य में एक था, हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें आदेश दिया तो हम में से प्रत्येक ने एक-एक दिरहम जमा कर के 7 दिरहम के बदले एक जानवर खरीदा, फिर हम ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! निश्चय हम ने उसे बड़ी क़ीमत में खरीदा है, तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः निस्संदेह अल्लाह तआला के पास उच्च व श्रेष्ठतर क़ुरबानी वह है जो सब अधिक उच्च हो। फिर हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हम में एक व्यक्ति को आदेश दिया तो उन्हों ने जानवर का एक हाथ पकड़ा, दुसरे साहब को दुसरा हाथ पकड़ने का निर्देश दिया, एक और साहब को एक पैर पकड़ने तथा दुसरे साहब को दुसरा पैर पकड़ने का आदेश दिया, एक सहाब को सींग एवं दुसरे साहब को दुसरी सीगं पकड़ने का आदेश दिया, तथा सातवें साहब उसे ज़िबा किया तथा हम सब ने तकबीर कही। बक़िय रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमायाः मैं ने हज़रत हम्माद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछाः वह सातवें साहब कौन हैं? उन्हों ने कहाः मैं नहीं जानता। तो मैं ने कहाः वह हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं।

(कंज़ुल उम्माल, किताब उल हज्ज, हदीस संख्याः 12693)

क़ुरबानी अल्लाह तआला की प्रसन्नता का माध्यम

ईद उल अज़्हा के अवसर पर क़ुरबानी से अल्लाह तआला की संतुष्टि व रज़ामंदी प्राप्त होती है, अर्थात शुअबुल ईमान में हदीस पाकः–

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः तुम्हारी अपनी ईद के दिन दुंबा (भेड़) ज़िबा करने के तुम्हारे अमल से तुम्हारा पालनहार खुश होता है।

(शुअबुल ईमान, जिल्द 05, पः 482, हदीस संख्याः 7085)

क़ुरबानी ना करने पर चेतावनी

अल्लाह तआला ने गुंजाईश व क्षमता रखने वाले के ज़िम्मे क़ुरबानी रखी है, तथा इस के लिए सवाब व पुण्य की शुभ सूचना आई है जैसा के वर्णन हदीसों से मालूम हुआ, इस के विरुद्ध जो व्यक्ति क्षमता व गुंजाईश के बावजूद क़ुरबानी ना करें इस के लिए कठिन चेतावनी वर्णन है।

जैसा के शुअबुल ईमान में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से वर्णित करते हैं, आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः जिस व्यक्ति ने योग्यता व क्षमता पाई और क़ुरबानी ना की वह कभी हमारी ईदगाह के खरीब ना आए।

(शुअबुल ईमान, जिल्द 05, पः 481, हदीस संख्याः 7083)

क़ुरबानी के दिन और समय

www.Ziaislamic.com

इबादत की नीयत से 10, 11, 12 ज़िल हिज्जा में से किसी दिन, शरीअत के निर्धारित जानवरों में से कोई जानवर ज़िबा करना शरीअत के आधार में क़ुरबानी कहलाता है।

इस से संबंधित कंज़ुल उम्माल में हदीसः पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है, आप फरमाते हैः क़ुरबानी के दिन 3 हैं तथा इन में उच्चतर पहला दिन है।

(कंज़ुल उम्माल, किताब उल हज्ज, हदीस संख्याः 12676)

उपर्युक्त वर्णन हदीसः पाक के बिना पर फुक़्हा किराम ने फरमाया है के क़ुरबानी के 3 दिन हैं- 10, 11, 12 ज़िल हिज्जा, क़ुरबानी का समय 10 ज़िल हिज्जा ईदुल अज़्हा की नमाज़ के बाद से 12 ज़िल हिज्जा के सूर्यास्त तक है। इस के बाद क़ुरबानी नहीं की जा सकती तथा रात में क़ुरबानी करना मकरूह है।

जैसा के तनवीर उल अबसार, मआ दुर्रे मुक़तार, जिल्द 05, पः 219)

क़ुरबानी करने वाले के शरीअत के अहकाम

जो मुसलमान सुन्तुलित व बालिग हो, निसाब (निर्धारित राशि) का मालिक हो, तथा यात्री या कर्जदार ना हो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। क़ुरबानी वाजिब होने के लिए धन बढ़ने वाला होना या इस पर वर्ष बीतना शर्त नहीं है किन्तु ज़कात वाजिब होने के लिए धन का बढ़ने वाला होना तथा इस पर वर्ष बीतना अवश्य है।

क़ुरबानी वाजिब होने के लिए धन व माली क्षमता व योग्यता का वर्णन हदीस पाक में वर्णन हैः-

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः हज़रत सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः जिस व्यक्ति के पास योग्यता व गुंजाईश हो तथा क़ुरबानी ना करे वह कभी हमारी ईदगाह के खरीब ना आए।

(सुनन इब्न माजह, पः 226, हदीस संख्याः 3242)

क़ुरबानी के निर्धारित राशि की स्पष्टीकरण

निसाब के मालिक होने का तात्पर्य व अर्थ ये है के मनुष्य बुनियादी अवश्यकताओं के अतिरिक्त 60 ग्राम 755 मिली ग्राम सोने या 425 ग्राम 285 मिली ग्राम चाँदी का मालिक हो या इस के समान प्रकार राशि या इतनी क़ीमत वाली चीज़ें इस की मिलकियत में हों।

फुक़्हा किराम ने वस्त्र के बारे में ये विस्तार वर्णन किया के एक व्यक्ति के लिए 33 जोड़ी वस्त्र असली अवश्यकता में शामिल हैं। एक घर में पहनने के लिए, एक काम काज के समय पहनने के लिए, और एक शुक्रवार (जुमअ), ईदैन एवं अन्य अवसरों पर पहनने के लिए।

इस के अतिरिक्त मनुष्य के पास जितने वस्त्र व कपड़े हैं, सब असली अवश्यकता से अधिक हैं। रिहाईश (शरन स्थाल) मकान के सिलसिले में ये स्पष्टीकरण की गई के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 2 मकान, एक गरमी के मौसम तथा एक सरदी के मौसम के अनुसार से हों, अधिक रसोईघर, हम्माम (स्नानघर) व शौचालय असली अवश्यकताओं में आती हैं।

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 219 में उल्लेख है।

www.Ziaislamic.com

फुक़्हा किराम की इस स्पष्टीकरण के प्रति देखा जाए के रिहाईश मकान तथा अवश्यकता की चीज़ों के अथिरिक्त जितनी चीज़ें हैं, यदि इनकी कीमत व मूल्य 60 ग्राम 755 मिली ग्राम सोने या 425 ग्राम 285 मिली ग्राम चाँदी के समान है तो क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य पाएगी।

जैसे अवश्यकता की सवारी के अतिरिक्त कोई और सवारी, 3 जोड़ों के अतिरिक्त वस्त्र के अधिक जोड़े तथा अवश्यकता से अधिक अन्य चीज़ें, इन सब की कीमत व मूल्य यदि सोने या चाँदी के वर्णन निसाब तक पहुँचती है तो क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य है।

कुछ लोग ये समझते हैं के घर के ज़िम्मेदार पर क़ुरबानी वाजिब है, दुसरों के लिए अवश्य नहीं, इस के बारे में ये बुद्धि में रखें के क़ुरबानी नमाज़, रोज़ा, ज़कात के प्रकार मुसतक़िल (स्थाई) इबादत है जो वर्णन निसाब के अनुसार प्रत्येक क्षमता व योग्यता रखने वाले सदस्य पर वाजिब व अनिवार्य है।

चाहे वह घर का ज़िम्मेदार हो या ना हो, पुरुष हो या महिला हो, यदि एक घर में उदाहरण 5 लोग क्षमता व योग्यता रखने वाले हों तो प्रत्येक पर अलग-अलग क़ुरबानी वाजिब होती है।

कर्जदार के लिए क़ुरबानी का आदेश

किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त वर्णन के इस प्रकार धन है तथा वह कर्जदार भी है, ऐसी स्थिति में ये देखा जाए के इस के धन से कर्ज संपादन किया जाए तो इस के पास असली अवश्यकता के अतिरिक्त निसाब के प्रकार धन या सामान बाखी रहता है या नहीं।

यदि उसके धन व माल से उधार के संपादन व समापन के बाद वह निसाब का मालिक रहता है तो इस पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य होगी।

www.Ziaislamic.com

जिस पर क़ुरबानी वाजिब है, यदि उस व्यक्ति के पास फिलहाल नक़द राशि व पैसे ना हो तब भी कर्जे-हसना (बिना ब्याज का उधार) ले कर या फिर अवश्यकता से अधिक जो सामान है उसे बेच कर के क़ुरबानी करनी होगी। यदि उधार व कर्ज के संपादन के बाद वह निसाब के योग्य नहीं रहता तो क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य नहीं।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, किताब उल अज़्हा, पः 292 पर उल्लेख है।

भाषांतरः यदि किसी के ज़िम्मे इतना उधार हो के वह उधार संपादन करने की परिस्थिति में इस का निसाब व निर्धारित राशि कम हो जाता है तो इस पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य नहीं।

(फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, किताब उल अज़्हा, पः 292)

व्यापारिक लोगों पर क़ुरबानी

कुछ व्यापारिक व कारोबारी लोग इस उम्मीद पर उधार लेते हैं के व्यापार में मुनाफा हो जाए तो इस की राशि से उधार संपादन हो जाएगा। जब नियुक्त समय समाप्त हो जाता है, उधार के संपादन का अवसर आता है तथा अल्लाह तआला की कृपा से मुनाफा प्राप्त हो जाता है तो उधार संपादन कर देते हैं, वरना दुसरे व्यक्ति से उधार प्राप्त कर के पूर्व उधार संपादन करते हैं।

इस प्रकार उधार लेने तथा देने का सिलसिला जारी रहता है। इस के बावजूद इन के पास अवश्यकता की चीज़ें होती हैं, गाड़ी (वाहक) उपयोग करते हैं, परिवार कि अवश्यकता पूरी करते हैं तथा सम्पूर्ण अवश्यकताओं व ज़रूरतों के समापन करते हुए भी वह कर्जदार ही रहते हैं।

www.Ziaislamic.com

ऐसे व्यापारिक व कारोबारी सदस्य को क़ुरबानी के सिलसिले में उपर्युक्त वर्णन स्पष्टीकरण के अनुसार ग़ौर करना चाहिए के इन पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य है या नहीं।

यदि उन के पास वर्णन निसाब के समान धन व माल है तथा इन के ज़िम्मे उधार इस प्रकार रहे के इन के धन से उधार संपादन किया जाए तो असली अवश्यकता व हाजत के अतिरिक्त निसाब के समान व बराबर धन या सामान बाखी नहीं रहता तो उन पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य नहीं, यदि इन के धन से उधार के संपादन के बाद वह निसाब के मालिक रहते हैं तो इन पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य होगी।

धनवान बच्चों पर क़ुरबानी ?

कुछ नाबालिग़ बच्चों के नाम पर अधिक मात्रा व बड़ी संख्या में राशि होती है क्या इस के कारण से बच्चों पर क़ुरबानी वाजिब होगी या माता-पिता के धन से इस की ओर से क़ुरबानी करनी चाहिए? इस से संबंधित फुक़्हा किराम के 2 कथन हैः-

(1)- फिक़्ह व फतावा कि पुस्तकों में सामान्य रूप से ये स्पष्टीकरण मलिता है के नाबालिग यदि धनवान व मालदार हो तो इस पर क़ुरबानी वाजिब है।

(2)- अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने रद्दुल मुहतार में नाबालिग पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य ना होने को प्रामाणिक व शासनानुरूप कथन व राय घोषित किया है, तथा शरई सिद्धान्त व उसूल इस की चेतावनी करते हैं के इबादतों व वाजिब होने की एक शर्त बालिग़ होना है।

जब तक बच्चा नाबालिग रहता है शरीतअ के सिद्धान्त उस पर लागू नहीं होते, पावन सरीअत उसे किसी ज़िम्मेदारी का पाबंद नहीं घोषित देती। उपर्युक्त वर्णन नाबालिग पर नमाज़, रोज़ा, ज़कात तथा हज्ज के प्रकार क़ुरबानी भी वाजिब नहीं।

www.Ziaislamic.com

धन क्यों के लड़के की मिलकियत है। अर्थात माता-पिता को रवा नहीं के वह नाबालिग लड़के की ओर से क़ुरबानी के लिए इस का धन व माल खर्च करें।

जैसा के दुर्रे मुक़तार, जिल्द 05, हदीस संख्याः 223 में उल्लेख हैः-

भाषांतरः पिता के लिए रवा नहीं के वह अपने नाबालिग लड़के के धन से क़ुरबानी करे, यही अनुसार के योग्य तथा प्रामाणिक व शासनानुरूप कथन व राय है।

इसी प्रकार बच्चों की ओर से माता-पिता या संरक्षण लोग का अपने धन से क़ुरबानी करना शरन वाजिब व अनिवार्य नहीं यदि माता-पिता इन की ओर से क़ुरबानी करें तो प्रशंसनीय व संस्ताव्य (मुसतहब व मुसतहसन) है।

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 222 में उल्लेख हैः-

भाषांतरः पिता पर अपनी औलाद की ओर से क़ुरबानी करना वाजिब व अनिवार्य नहीं, ज़ाहिर उर रिवायह में है के औलाद की ओर से क़ुरबानी करना मुसतहब (प्रशंसनीय) है, वाजिब नहीं, सदखे फित्र असमान के (के वह औलाद की ओर से पिता पर वाजिब है तथा फतना इसी पर है)।

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अहले-बैत किराम की ओर से क़ुरबानी करना

हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहले-बैत किराम की ओर से क़ुरबानी करते तथा संप्रदाय व उम्मत के इन लोगों की ओर से क़ुरबानी करते जिन के पास क़ुरबानी करने की क्षमता व योग्यता नहीं जैसा के सुनन इब्न माजह में हदीस पाक हैः-

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः हज़रत सैयदतना आयशा सिद्दीखा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से वर्णित है के हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदाअ के अवसर पर सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल (वंश) की ओर से एक गाय क़ुरबानी की।

(सुनन इब्न माजह, पः 226, हदीस संख्याः 3255)

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मत की ओर से क़ुरबानी करना

सुनन अबु दाऊद में हदीसः पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है उन्हों ने फरमाया मैं ईदुल अज़्हा के अवसर पर हज़रत रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह में था, फिर जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुत्बे से मुक्त हुए तो मिम्बर से तशरीफ लाए तथा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सेवा में एक दुंबा (भेड़) पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने *बिसमिल्लाही अल्लाहु अकबर,* पढ़ कर उसे अपने धन्य हाथों से ज़िबा किया तथा फरमायाः ये मेरी ओर से है एवं मेरी उम्मत में से उन लोगों की ओर से है जिन्हों ने क़ुरबानी नहीं की।

(सुनन अबु दाऊद, जिल्द 02, पः 388, हदीस संख्याः 2812)

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सेवा में क़ुरबानी का हदिया

हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामूल था के आप सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ओर से क़ुरबानी किया करते, जैसा के जामेअ तिरमिज़ी में हदीस पाक हैः-

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः हज़रत हनश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं के आप 2 दुंबे ज़िबा करते, एक हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ओर से और दुसरा द अपनी ओर से, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस के बारे में पूछा गया तो फरमायाः मुझे हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस क़ुरबानी का आदेश किया, अर्थात मैं इस अमल को कभी तर्क होने नहीं दुँगा।

(जामेअ तिरमिज़ी, जिल्द 01, पः 275, हदीस संख्याः 1574)

ऑनलाइन क़ुरबानी का आदेश

कुछ लोग वेव साइट पर ऑनलाइन (Online) क़ुरबानी की सुविधा उपलब्ध की जा रही है, किसी भी देश में रहते हुए इंटरनेट के द्वारा इस सुविधा से लाभ व फायदा लिया जा सकता है, सोंच-विचार करने की बात ये है के ऑनलाइन क़ुरबानी की सुविधा से लाभ व फायदा करते हुए क़ुरबानी का उद्देश्य देने से क्या क़ुरबानी संपादन हो जाएगी?

इसलामी शरीअत ने क़ुरबानी के लिए दुसरे व्यक्ति को वकील बनाने की आज्ञा दी है। मानव खुद क़ुरबानी करे या किसी और को क़ुरबानी करने के लिए वकील बनाएँ, चाहे वह सदस्य हो या उद्देश्य, दोनों स्थितियों में भी जायज़ है।

ऑनलाइन (Online) क़ुरबानी की स्थिति वास्तव में क़ुरबानी के आदेश में है, इस सिलसिले में कुछ बातें बुद्धि में रहनी चाहिएः-

(1)- ऑनलाइन क़ुरबानी का तरीका उसी समय अपनाया जा सकता है जब के इस कर्म व कार्य का सम्पूर्ण अनुसार व विश्वास प्राप्त हो के वेबसाइट के ज़िम्मेदारों व संरक्षण उसी जानवर की क़ुरबानी करते हों जिस में पावन शरीअत की माँग सम्पूर्ण शर्तें पाई जाती हों।

www.Ziaislamic.com

(2)- किन्तु साथ ही ये कर्म व कार्य भी अनिवार्य व ज़रूरी है के जहाँ क़ुरबानी दी जा रही हो वहाँ का अनुसार करते हुए क़ुरबानी के निर्धारित दिनों 10, 11, 12 ज़िल हिज्जा ही में दी जाए, यदि इस स्थान पर ये दिन बीत चुके हों तो क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी, बल्कि जानवर सदखा कर देना अवश्य होगा, जैसा के विस्तार आ रही है।

(3)- इमाम अबु यूसुफ, इमाम मुहम्मद तथा इमाम हसन बिन ज़्याद (रहमतुल्लाहि अलैहिम) के कथन व क़ौल के पेश नज़र पर 2 स्थान की रिआयत अनुसार रखते हुए क़ुरबानी की जाए, अर्थात उपर्युक्त वर्णन सावधानी जिस की ओर से क़ुरबानी दी जा रही है तथा जहाँ दी जा रही है प्रत्येक 2 स्थान पर जब क़ुरबानी के दिनों में हो तब दी जाए तो श्रेष्ठतर है।

इस सिलसिले में 2 फिक़्ही भाग व जुज़ वर्णन किए जाते हैः-

(अ)- यदि शहर में उपलब्ध व्यक्ति ने ऐसे देहात वाले व्यक्ति को इस की ओर से क़ुरबानी करने के लिए कहा जहाँ जुमअ (शुक्रवार) तथा ईदैन नहीं होतीं तो क़ुरबानी के स्थान का सावधान करते हुए फज्र के तुलूअ के बाद क़ुरबानी करना शरन श्रेष्ठ है अगरचे क़ुरबानी करने वाले के शहर में अभी नमाज़ संपादन ना की गई हो, इमाम मुहम्मद व इमाम अबु यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह ने यही फरमाया, इमाम हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाहि अलैह से व्याख्या है के क़ुरबानी वाले के स्थान का अनुसार किया जाए।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 296 में उल्लेख है।

(आ) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे देश में निवास व नागरिक हो जहाँ क़ुरबानी का समय आरम्भ व शुरू ना हुआ हो तथा इस की ओर से क़ुरबानी ऐसे देश में की जा रही हो जहाँ क़ुरबानी का समय शुरूअ व आरम्भ हो चुका है या क़ुरबानी देने वाले के यहाँ समय आरम्भ व शुरु हो चुका है तथा जिस देश में क़ुरबानी की जा

www.Ziaislamic.com

रही है वहाँ अभीसमय शुरू ना हुआ हो तो इमाम अबु यूसुफ व इमाम मुहम्मद के कथन व राय के अनुसार इसी स्थान का अनुसार रहेगा जहाँ क़ुरबानी की जा रही है तथा इमाम हसन बिन ज़्याद रहमतुल्लाहि अलैह के कथन के अनुसार क़ुरबानी करने वाले के स्थान का अनुसार होगा।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 296 में उल्लेख हैः-

भाषांतरः इमाम अबु यूसुफ रहमतुल्लाहि अलैह व इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह से मरवी है के कोई व्यक्ति एक नगर व शहर में हो, इस के परिवार दुसरे शहर में हों तथा वह अपने नातेदारों व रिश्तेदारों की ओर अपनी ओर से क़ुरबानी करने के लिए सन्देश पत्र भेजें तो इस की क़ुरबानी उसी समय की जा सकती है जब के क़ुरबानी संपादन की जाने वाले शहर में नमाज़ संपादन हो जाए।

अमरीका एवं अन्य देशों में नागरिक सदस्यों की भारत में क़ुरबानी

अमरीका, कनाडा तथा इस के निकट व पश्चिमी देशों में नागरिक लोग भारत में क़ुरबानी करते हैं। भारत व हिंदुस्तान में जब 10 ज़िल हिज्जा को क़ुरबी का समय आरम्भ व शुरू होता है तो उस समय इन देशों में ईद की रात होती है, क्यों के इन की क़ुरबानी हिंदुस्तान व भारत में हो रही है अर्थात इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के कथन व राय के अनुसार 10 ज़िल हिज्जा को इन की क़ुरबानी श्रेष्ठ है, इमाम हसन बिन ज़्याद रहमतुल्लाहि अलैह के कथन के अनुसार अमरीका में समय आरम्भ व शुरू होने के बाद क़ुरबानी की जाए।

श्रेष्ठतर स्थिति ये है के ऐसे दिन क़ुरबानी की जाए के क़ुरबानी करने वाले के स्थान पर तथा क़ुरबानी के स्थान पर प्रत्येक दोनो स्थान क़ुरबानी के दिन शुरू हो जाएँ।

क़ुरबानी के निर्धारित जानवर

www.Ziaislamic.com

क़ुरबानी के लिए ये जानवर विस्तृत विवरण हैः-

बकरी, बकरा, मेण्डा, भेड़, बैल, गाय, खुल्गा, भैंस, ऊँट, ऊँटनी इन के अतिरिक्त दुसरे जानवरों की क़ुरबानी उचित नहीं।

जैसा के फतावा आलमगिरीग, जिल्द 05, पः 297 पर उल्लेख है।

क़ुरबानी के लिए जानवरों की कम से कम उम्र

क़ुरबानी के लिए किस जानवर की उम्र कितनी होनी चाहिए? इस से संबंधित सहीह मुसलिम में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है उन्हों ने फरमायाः हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश फरमायाः केवल 1 वर्ष की बकरी, 2 वर्ष की गाय तता 5 वर्ष का ऊँट ज़िबा करो किन्तु तम्हें दुविधा व कठिन हो तो 6 महीने का दुंबा ज़िबा कर लो।

(सहीह मुसलिम, जिल्द 02, पः155, हदीस संख्याः 1963)

इस हदीसः पाक के आधार में मुहद्दिसीन लोग व फुक़्हा किराम ने वर्णन किया के क़ुरबानी के लिए बकरे की कम से कम उम्र 1 वर्ष, गाय की 2 वर्ष एवं ऊँट की 5 वर्ष है। इस से कम उम्र वाले जानवर की क़ुरबानी श्रेष्ठ नहीं।

6 महीने का दुंबा यदि इतना मोटा तथा फूला हुआ हो के 1 वर्ष के बकरे के समान दिखाई देता हो तो इस की क़ुरबानी श्रेष्ठ है। इन जानवरों की उम्र वर्णन उम्र से अधिक हो तो उच्च दर्जे का जायज़ बल्कि उत्तम है। बकरा 1 वर्ष से कम, गाय 2 वर्ष से कम तथा ऊँट 5 वर्ष से कम उम्र हो तो इन जानवरों की क़ुरबानी श्रेष्ठतर नहीं।

www.Ziaislamic.com

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 297 पर उल्लेख है।

गाय तथा ऊँट में केवल 7 लोग की शिरकत

गाय तथा ऊँट की क़ुरबानी 7 लोगों की ओर से करना श्रेष्ठ है जैसा के सुनन अबु दाऊद में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः गाय 7 लोगों की ओर से है तथा ऊँट 7 लोगों की ओर से है।

(सुनन अबु दाऊद, जिल्द 02, पः 388, हदीस संख्याः 2810)

बकरा, बकरी, मेण्ड़ा, भेड़ में से एक जानवर एक व्यक्ति की ओर से होना चाहिए तथा बैल, गाय, खुल्गा, भैंस, ऊँट, ऊँटनी में से एक जानवर 7 लोगों की ओर से दिया जा सकता है यथा 7 आदमी शरीक हो कर एक बैल या गाय या ऊँट आदि की क़ुरबानी करें तो श्रेष्ठ है।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 297 पर उल्लेख है।

बड़े जानवर में शिरकत के लिए अनिवार्य हिदायत

बड़े जानवर में शिरकत के लिए अवश्य है के सम्पूर्ण भाग्यदार व शरीक होने वाले की नीयत क़ुरबानी की हो तथा सातों आदमी बराबर क़ीमत व मूल्य का सातवाँ हिस्सा संपादन करें तथा श्रेष्ठतर है के सम्पूर्ण शरीक होने वाले जानवर की खरीदी के समय शरीक हों या कोई व्यक्ति व्यक्ति 7 हिस्सों की नीयत से खरीद रहा है तो भी श्रेष्ठ है।

www.Ziaislamic.com

यदि किसी एक ने भी क़ुरबानी की नीयत नहीं की बल्कि गोश्त खाने या बेचने की नीयत की या किसी एक ने भी कीमत बराबर नहीं संपादन की या अतः गोश्त बराबर तक़सीम नहीं किया गया तो फिर सातों में से किसी की भी क़ुरबानी श्रेष्ठ ना होगा।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 204 में उल्लेख है।

यदि कोई व्यक्ति तन्हा क़ुरबानी देने के उद्देश्य से गाय खरीदे फिर बाद में दुसरों को इस में शरीक कर लें तो सब की ओर से क़ुरबानी संपादन हो जाएगी परन्तु इसका ये कर्म व अमल कराहत से खाली नहीं।

हाँ खरीदी के समय दुसरों का हिस्सा शरीक करने की नीयत हो तो कराहत नहीं, शर्त ये है के वह मालदार हो तथा इस पर क़ुरबानी अनिवार्य व वाजिब हो।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 304 पर उल्लेख है।

शिरकत की स्थिति में शरीक होने वाले क़ुरबानी का गोश्त तोल कर बराबर तक़सीम कर लें, अंदाज़े से नहीं, हाँ यदि गोश्त के साथ सरे पाय आदि भी शामिल हों तो इस स्थिति में अंदाज़े से भी हिस्से कर लिए जाएँ तो समस्या नहीं।

जैसा के दुर्रे मुक़तार, जिल्द 05, पः 223)

बकरी की क़ुरबानी से संबंधित एक स्पष्टीकरण

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अहले बैत किराम तथा अपनी उम्मत की ओर से एक दुंबा ज़िबा किया, इस सिलसिले में अनेक रिवायतें वर्णन हैं, मुसतदरक अला सहिहैन में हदीसः पाक हैः-

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सम्पूर्ण अहले बैत की ओर से एक बकरी की क़ुरबानी करते।

(मुसतदरक अला सहिहैन, हदीस संख्याः 7662)

इस रिवायत के बिना पर संदेह होता है के एक बकरी की क़ुरबानी 7 लोगों की ओर से करना, जायज़ है, किन्तु बात ऐसी नहीं है, एक बकरी एक ही व्यक्ति की ओर से होगी, 7 लोगों की ओर से नहीं, क्यों के वर्णन रिवायत वास्तव में नफ्ल क़ुरबानी से संबंधित है।

इस का तात्पर्य व अर्थ ये है के केवल सवाब के प्राप्त के लिए नफ्ल क़ुरबानी दी जा रही हो तो इस के सवाब में 7 लोग या और अधिक लोग भी शामिल किए जा सकते हैं। जिस रिवायत में वर्णन है के सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्मत की ओर से एक दुंबा ज़िबा किया, इस का तात्पर्य वर्णन करते हुए सुनन इब्न माजह में हैः-

भाषांतरः सम्पूर्ण उम्मत की ओर से एक दुंबा ज़िबा करने का तात्पर्य ये है के नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत पर करम करते हुए सम्पूर्ण उम्मत को सवाब में शरीक किया।

(इन्जाह उल हाजह, शरह सुनन इब्न माजह, पः 226)

इस से मालूम होता है के नफ्ल क़ुरबानी हो तो बकरी में एक से अधिक बल्कि 7 से अधिक जितने लोगों को चाहें शरीक करना, श्रेष्ठतर है। किन्तु वाजिब व अनिवार्य क़ुरबानी करने की स्थिति में एक बकरी एक ही व्यक्ति की ओर से होगी, एक से अधिक की ओर से नहीं, इमाम नववी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा हैः-

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः विद्वानों ने इस बात पर निश्चय किया है के बकरी की क़ुरबानी में शिरकत श्रेष्ठ नहीं।

(शरह मुसलिम लिन नववी, जिल्द 01, किताब उल हज्ज, पः 424)

अधिक इन्जाह उल हाजह, सुनन इब्न माजह, पः 226 में भी इसी प्रकार की इबारत व सन्दर्भ वर्णन है।

वाजिब व अनिवार्य क़ुरबानी के लिए बकरी ए से अधिक सदस्य व लोग की ओर से जायज़ नहीं, जैसा के सुनन इब्न माजह में हदीस पाक वर्णन से मालूम होता हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पावन सेवा में एक व्यक्ति उपस्थित हुए तथा निवेदन कियाः (7 लोग की ओर से कुरबानी करने के लिए) मेरे ज़िम्मे 1 ऊँट है, मैं इस की क्षमता व योग्यता रखता हुँ जब के मुझे खरीदने के लिए ऊँट नहीं मिल रहे हैं? तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उन्हें आदेश दिया के वह 7 बकरियाँ खरीदीं तथा उन्हें ज़िबा करें।

(सुनन इब्न माजह, पः 226, हदीस संख्याः 3256)

इस रिवायत को मुहद्दिसे-देक्कन अबुल हसनात हज़रत सैय्यद अब्दुल्लाह शाह नक्षबंदी मुजद्दिदी खादरी रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़ुजाजातुल मसाबीह, जिल्द 01, पः 405-406 में व्याख्या हैः-

यदि बकरी की क़ुरबानी 7 लोगों की ओर से जायज़ होती तो हज़रत रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये आदेश करते के 7 लोगों की ओर से

www.Ziaislamic.com

क़ुरबानी के लिए ऊँट नहीं मिल रहा हो तो एक बकरी खरीद कर 7 लोगों की ओर से क़ुरबानी के लिए ज़िबा कर दो, किन्तु सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़िबा करने का आदेश नहीं किया बल्कि 7 बकरियाँ खरीद कर ज़िबा करने का आदेश दिया।

बधिया किया हुआ बकरे की क़ुरबानी

क़ुरबानी के लिए ऐसे जानवर का चुनाव करना चाहिए जिस में खोट व अभाव ना हो, जानवर सही व उचित तथा फूला हो, जहाँ तक बधिया किया हुआ बकरे की क़ुरबानी का विषय है तो क्यों के जानवरों की खोट व अभाव करना खोट नहीं है अर्थात खोट जानवर की क़ुरबानी जायज़ व श्रेष्ठ है बल्कि क़ुरबानी के लिए बधिया किया हुआ जानवर अधिमान्य व उच्च है।

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बधिया किया हुआ (खुसी) बकरों की क़ुरबानी की, जैसा के सुनन इब्न माजह में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदतना आयशा तथा सैयदना अबु हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से वर्णित है के हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब क़ुरबानी करने का उद्देश्य करते तो 2 बड़े, फुले (मोटा), सींग वाले, चित्तीदार (धब्बेदार), खुसी व बधिया किया हुआ मेण्ड़े खरीदते, उन में से एक अपनी उम्मत की ओर से उन लोगों के लिए ज़िबा करते जिन्हों ने अल्लाह तआला के लिए तौहीद की गवाही दी तथा आप के लिए तबलीग़े-रिसालत की गवाही दी तथा दुसरा खुद अपनी ओर से और अपनी वंश की ओर से ज़िबा करते।

(सुनन इब्न माजह, पः 225/226, हदीस संख्याः 3113)

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 299 पर उल्लेख है।

www.Ziaislamic.com

अधिक तबियीन उल हक़ाइक़, जिल्द 06, पः 479 पर भी उल्लेख हैः-

भाषांतरः इमाम आज़म अबु हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमायाः खुसी व बधिया किया हुआ जानवर की क़ुरबानी उच्च व श्रेष्ठतर है इस लिए के इस का गोश्त स्वादिष्ट व उत्तम होता है।

गाय की क़ुरबानी श्रेष्ठतर है या बकरे की ?

क़ुरबानी के जानवरों में यदि 2 जानवरों की क़ीमत तथा उन के गोश्त की मात्रा व संख्या बराबर हो तो जिस जानवर का गोश्त अच्छा हो वह उच्च व श्रेष्ठतर है, यदि गोश्त की संख्या अनेक हो तो जिस जानवर का गोश्त अधिक हो वह उत्तम व श्रेष्ठतर है।

क़ुरबानी के लिए बकरी तथा गाय का सातवाँ हिस्सा दोनों, गोश्त की संख्या तथा क़ीमत व मूल्य में बराबर हों तो बकरा उत्तम है क्यों के बकरी का गोश्त अधिक उत्तम होता है, यदि गाय के सातवें हिस्से में बकरी से अधिक गोश्त हो तो गाय का सातवाँ हिस्सा उच्च व श्रेष्ठतर है।

यदि मेण्ड़ा व भेड़िया व दुंबा व दुंबी कीमत में बराबर हों तथा गोश्त की संख्या भी एक समान हो तो मेण्ड़ा भेड़ से श्रेष्ठतर है तथा दुंबा दुंबी से श्रेष्ठतर व उच्च है, गाय, बैल या ऊँट व ऊँटनी बराबर हों तो गाय बैल से और ऊँटनी ऊँट से श्रेष्ठतर व उच्च है।

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 227 पर भी उल्लेख है।

जानवर के बच्चे का आदेश

www.Ziaislamic.com

क़ुरबानी का जानवर यदि बच्चा जन्म दे तो बच्चे क ज़िबा किया जाएया सदखा किया जाए? इस सिलसिले में फुक़्हा किराम ने मालदार व धनी तथा दरिद्र व निर्धन के लिए अलग अलग स्पष्टीकरण किया है, यदि क़ुरबानी करने वाला दरिद्र हो तो उस के लिए शरीअत का आदेश ये है के जानवर के बच्चे को अनिवार्य रूप पर ज़िबा करें, धनी व मालदार के लिए क़ुरबानी के दिनों में ज़िबा करना ही अवश्य नहीं बल्कि उसे इस बात का अधिकार है के ज़िबा करे या जीवित सदखा कर दे, यदि वह बच्चे को ज़िबा नहीं किया तथा ना सदखा किया यहाँ तक के क़ुरबानी के दिन बीत गए तो अब सदखा करना, वाजिब व अनिवार्य है। उसे बेच दिया हो तो उस के बदले में प्राप्त होने वाली क़ीमत व राशि सदखा कर दें।

यदि उसे ज़िबा नहीं किया, बेच भी दाय तथा ना सदखा किया यहाँ तक के एक वर्ष बीत गया, फिर क़ुरबानी के दिन आ गए तथा वह क़ुरबानी के योग्य रहे तो ऐसी स्थिति में उसे इस वर्ष की क़ुरबानी के लिए ज़िबा कर तो जायज़ नहीं।

इस वर्ष की क़ुरबानी के लिए दुसरा जानवर ज़िबा करना होगा, क्यों के उसे जीवित सदखा करना अवश्य था, इस के बजाए ज़िबा कर दिया गया, अर्थात ज़बीहा को सदखा कर दें तथा ज़िबा करने के कारण से जिस प्रकार क़ीमत व मूल्य कम हो उतनी राशि सदखा करें।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 301 पर उल्लेख है।

जिन खोट व कमी के कारण क़ुरबानी श्रेष्ठ नहीं

क़ुरबानी के द्वारा बन्दा अल्लाह तआला के दरबार में निकटा व खुर्ब प्राप्त करता है अर्थात क़ुरबानी के लिए ऐसे जानवर का चुनाव करना चाहिए, जो फुला हुआ, सहीह व उचित व स्वस्थ्य हो, अँधा, लंगडा, बीमार, कमज़ोर ना हो।

निम्नलिखित कमी व खोट वाले जानवरों की क़ुरबानी श्रेष्ठ नहीं-

www.Ziaislamic.com

अन्धा, काना, लंगडा, बहुत दुबला जो क़ुरबान स्थान तक ना चल सके, तिहाई (1/3rd) से अधिक कान या दुम या सिरीन कटा हुआ, तिहाई (1/3rd) से अधिक जिस की बीनाई जाती रही हो, दंतहीन (बिना दाँत), और वह जानवर जिस की सींगें जड़ से टूट गई हों, किन्तु माँ के पेट से जिन की सींग ना हों उन की क़ुरबानी श्रेष्ठ है।

मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना बरअ बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से पूछा गया के किन जानवरों की क़ुरबानी नहीं करनी चाहिए तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः "4"। हज़रत बरअ बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमायाः और मेरा हाथ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के धन्य हाथ से छोटा व कमतर हैः

(1)- ऐसा लंगडा जानवर जिस का लंगडा होना स्पष्ट व प्रकट हो।

(2)- काना, जिस का काना होना स्पष्ट हो।

(3)- बीमार, जिस का रोग व मर्ज़ स्पष्ट हो।

(4)- ऐसा कमज़ोर व अशक्त जिस की हड्डियों में ना हों।

(मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल, हदीस संख्याः 19185)।

अधिक ये रिवायत सुनन कुबरा लिल बैहखी, हदीस संख्याः 19567 में भी उल्लेख है।

दंतहीन जानवर की क़ुरबानी का आदेश

www.Ziaislamic.com

क़ुरबानी का जानवर यदि पूर्ण रूप से बेदाँत व दंतहीन हो या इस के अधिकतर दाँत ना हों तो शरीअत के आधार में इस की क़ुरबानी जायज़ नहीं तथा यदि जानवर के अधिकतर दाँत उपलब्ध हों, केवल कुछ दाँत जा चुके हों तो उस की क़ुरबानी श्रेष्ठ है।

जैसा के दुर्रे मुक़तार, जिल्द 05, पः 228 पर उल्लेख है।

अधिक रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 228 पर भी उल्लेख है।

जानवर की जबान कटी हो तो उसका क्या आदेश है ?

जबान (जीभ) कटी हुई होना बकरी में खोट व कमी नहीं किन्तु गाय में इस को खोट व कमी शुमार किया गया है। फुक़्हा ने कारण ये वर्णन किया है के बकरी दाँतों से चारह खाती है इस लिए इस के लिए जबान का कटा होना खोट नहीं, इस के विरुद्ध गाय क्यों के जबान से चारह खाती है इस लिए ये इस में खोट व कमी शुमार किया गया है।

अर्थात बकरी की जबान कटी हुई हो तो शरीअत के आधार में क़ुरबानी श्रेष्ठ है तथा यदि गाय की जबान कटी हुई हो तो ये देखा जाए के कितनी जबान कटी हुई है, यदि जबान का एक तिहाई ($1/3^{rd}$) से अधिक भाग व हिस्सा कटा हुआ हो तो शरन इस की क़ुरबानी श्रेष्ठ नहीं, यदि इस से कम कटी हो तो जायज़ है।

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 229 पर उल्लेख है।

जानवर के पैर में घाव आए तो क़ुरबानी का आदेश

www.Ziaislamic.com

यदि कोई जानवर घाव के कारण या किसी और कारण से 3 पैर से चलता है, एक पैर का सहारा नहीं लेता तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी श्रेष्ठ नहीं। यदि इस पैर के सहारे से चल रहा है तो क़ुरबानी श्रेष्ठ है।

जैसा के दुर्रे मुक़्तार, जिल्द 05, पः 227 पर उल्लेख है।

खुजली वाले जानवर की क़ुरबानी का आदेश

यदि किसी जानवर को खुजली की बीमारी व रोग हो तो इस सिलसिले में देखा जाए के खुजली, जानवर की खाल तक ही सीमित है या बढ़ कर उस के गोश्त पर असरअंदाज़ हो चुकी है, खुजली यदि जानवर की खाल तक ही सीमित हो तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी श्रेष्ठ है क्यों के खाल खुजली वाली होने से गोश्त पर असर व प्रभाव नहीं होता तथा यदि खुजली इस प्रकार हो के जानवर कमज़ोर हो चुका है तथा इस की हड्डी में मास बाखी ना रहा तो समझा जाएगा के खुजली गोश्त पर भी असरअंदाज़ हो चुकी है तथा गोश्त तक खुजली का असर कर जाना जानवर के लिए खोट व कमी है। इस बिना पर ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं।

जैसा के दुर्रे मुक़्तार, जिल्द 05, पः 227 पर उल्लेख है।

एवं अधिक रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 227 पर भी उल्लेख है।

जानवर खरीदने के बाद कोई खोट व खराबी आ जाए तो क्या करना चाहिए ?

यदि कोई व्यक्ति क़ुरबानी के लिए जानवर खरीदा, बाद में इस जानवर में कोई ऐसा खोट व खराबी हो गई जिस के होते हुए क़ुरबानी जायज़ नहीं होती, तो इस सिलसिले में इस्लामी शरीअत ने 2 परिस्थियों का वर्णन किया हैः-

www.Ziaislamic.com

(1)- कुरबानी देने वाले धनवान व दौलतमंद तथा योग्यता व सामर्थ्य होनी के बिना बर वाजिब क़ुरबानी दे रहे हों तो इनको चाहिए के वह इस खराबी व खोट वाले जानवर की क़ुरबानी ना करें बल्कि क़ुरबानी के लिए दुसरा स्वस्थ व उचित जानवर खरीदें।

(2)- इस के विरुद्ध यदि वह सामर्थ्य व योग्यता वाले व धनवान ना हों, केवल नफ्ल क़ुरबानी की नीयत से जानवर खरीदे हों तो क्यों के वह जानवर खरीदने के कारम से क़ुरबानी के लिए नियुक्त हो चुका होता है। अर्थात उनके लिए शरीअत का आदेश ये है के वह इस जानवर की क़ुरबानी करें जिस उन्हों ने क़ुरबानी की नीयत से खरीदा था, गरचे खरीदने के बाद इस में कोई खोट व खराबी पैदा हो गई हो।

जैसा के दुर्रे मुक़्तार, जिल्द 05, पः 229 पर उल्लेख है।

ज़िबा का तरीक़ा

ज़िबा करने का तरीका ये है के प्रथम जानवर को पानी पिला कर बायें पहलू व पक्ष पर इस प्रकार लिटाएँ के जानवर का सर दक्षिण (जनूब) की ओर तथा मुँह क़िबले की ओर रहे फिर दायें हाथ में तेज़ छुरी लें और *बिसमिल्लाही अल्लाहु अकबर* कह कर शक्ति व तेज़ी के साथ गले पर गाँठी से नीचे छुरी चलाएँ, इस अंदाज़ पर के चारों रगें कट जाएँ किन्तु सर जुदा ना हो, काटना समाप्त होते ही जानवर को छोड़ दें।

ज़िबा में इन चार रगों को काटना अवश्य हैः-

(1)- श्वासनली, जिस से साँस आती जाती है।

(2)- भोजन की नली जिस से खाना पानी पेट में जाता है।

(3/4)- दोनों (ग्रीवा शिरा व गले की) रगें, जिन में खून फिरता है तथा जो श्वासनली तथा बोजन की नली के दायें-बायें होती हैं।

www.Ziaislamic.com

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 207 पर उल्लेख है।

क़ुरबानी के जानवर को खुद क़ुरबानी करने वाले का ज़िबा करना मुसतहब (प्रशंसनीय) है। यदि खुद अच्छी तरह ज़िबा ना कर सकता हो तो किसी और से ज़िबा कराए ऐसी स्थिति में क़ुरबानी वाले के लिए श्रेष्ठतर है के ज़िबा के समय सामने रहे।

जैसा के कंज़ुल उम्माल में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अली मुरतज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आदेश कियाः अए फातिमा उठो तथा अपनी क़ुरबानी के जानवर के पास उपस्थित रहो। सुनो! इस के खून का प्रथम बूंद व खतरा गिरते ही क़ुरबानी वाले के सम्पूर्ण दोष व खताएँ जो इस ने की हैं क्षमा कर दी जाती हैं। सुनो! क़ियामत के दिन क़ुरबानी का जानवर अपने गोश्त तथा खून की 70 गुना शान व प्रतिभा के साथ लाया जाएगा। फिर तुम्हारे मीज़ान में रखा जाएगा, हज़रत अबु सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! क्या ये कृपा व उत्तमता अहले-बैत किराम के ले विशेष है? वह लोग तो प्रत्येक स क़ैर व भलाई के अधिकारी हैं जो इन के साथ विशेष कर दी जाए, या ये उत्तमता अहले बैत किराम तथा सारे लोगों के लिए सामान्य है? आप ने आदेश कियाः बल्कि ये वंश व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ले विशेष तथा सम्पूर्म लोगों के ले सामान्य है।

(कंज़ुल उम्माल, हदीस संख्याः 12671)

क़ुरबानी के समय पढ़ी जाने वाली दुआएँ

www.Ziaislamic.com

बिसमिल्लाही अल्लाहु अकबर कह कर जानवर ज़िबा करें तथा कोई भी मासूर (निर्धारित) दुआ पढ़े।

दुआ से संबंधित मुअजम तबरानी में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफेद व काले रंग वाले 2 दुंबे ज़िबा करते, जब सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़िबा करने का उद्देश्य करते तो अपना धन्य क़दम जानवर के पहलू पर रखते तथा ये दुआ करतेः *बिसमिल्लाही अल्लाहुम्मा मिनका वा लका अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद*

भाषांतरः अल्लाह तआला के नाम से, अए अल्लाह ये तेरी ही प्रदान है तथा तेरे दरबार में क़ुरबानी है अए अल्लाह! ये मुहम्मद (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की ओर से है इसे स्वीकार कर।

(मुअजम कबीर तबरानी, हदीस संख्याः 11166)

उपर्युक्त वर्णन दुआ के अंत में *मिन मुहम्मद* के बजाए *मिन्नी* कहें।

जैसा के सुनन अबु दाउद में हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ये दुआ व्याख्या हैः-

लिप्यंतरणः- *इन्नी वज्जहतू वजहिया लिल्लज़ी फतरस समावाती वल अरज़ा अला मिल्लती इबराहीमा हनीफौं वमा अना मिनल मुशरिकीन। इन्नी सलाती वानुसुकी वामहयाया वा ममाती लिल्लाही रब्बिल आलामीन। ला शरीका लहु वाबिज़ालिका उमिरतू वा अना मिन अल मुसलिमीन। अल्लाहुम्मा मिनका वा लका अन मुहम्मदिन वा उम्मातिही बिसमिल्लाही वल्लाहु अकबर।*

www.Ziaislamic.com

भाषांतरः निश्चय मैं ने मिल्लत इबराहीम अलैहिस सलाम पर स्थापित रह कर सम्पूर्ण अदयान (धर्मों व मज़हबों) से मुँह मोड़ कर अपना पक्ष एकसुई से उस ज़ात की ओर फेर लिया है जिस ने आसमानों तथा ज़मीनों को बेमिसाल पैदा किया है तथा मैं मुशरिकों में से नहीं हुँ, निश्चय मेरी नमाज़, मेरा हज्ज, मेरी क़ुरबानी, मेरा जीवन तथा मेरी मृत्यु अल्लाह तआला के लिए है जो सम्पूर्ण जहानों का पालनहार है। इस का कोई शरीक नहीं तथा इसी का मुझे आदेश दिया गया है तथा मैं सारी मखलूक़ (निर्माण) में सब से पहला मुसलमान हुँ। अए अल्लाह ये तेरी ही अता (प्रदान) है तथा तेरे दरबार में क़ुरबानी है, अए अल्लाह! मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ओर से तथा आप की उम्मत की ओर से स्वीकार कर, अल्लाह तआला के नाम से, अल्लाह बहुत बड़ा है।

(सुनन अबु दाऊद, हदीस संख्याः 2797)

उपर्युक्त वर्णन दुआ के अंत में *अन मुहम्मदिन वा उम्मतिही* के बजाए *अन्नी* कहें।

हाशिया अस सिन्दी अला सुनन इब्न माजह में क़ुरबानी की ये दुआ लिखित हैः-

लिप्यंतरणः- *तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन इबराहीमा ख़लीलिका वा मुहम्मदिन नबियिक*

भाषांतरः अए अल्लाह! मेरी क़ुरबानी स्वीकार कर जिस प्रकार तू ने अपने ख़लील हज़रत इबराहीम अलैहिस सलाम तथा अपने महबूब नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से स्वीकार किया।

(हाशिया अस सिन्दी अला सुनन इब्न माजह)

अधिक ये दुआ भी पढ़ी जाती हैः-

www.Ziaislamic.com

लिप्यंतरणः- *अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हियता मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन इबराहीमा ख़लीलिका वामिन मुहम्मदिन नबियिका वा हबीबिका अलैहिमस सलातु वस सलाम*।

भाषांतरः अए अल्लाह! मेरी इस क़ुरबानी को स्वीकार कर जिस प्रकार तूने अपने ख़लील हज़रत इबराहीम अलैहिस सलाम तथा अपने नबी व हबीब हज़रत सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से स्वीकार किया।

यदि क़ुरबानी वाले के अतिरिक्त कोई और व्यक्ति ज़िबा कर रहा हो तो वर्णन दुआओं में *तक़ब्बल मिन्नी* में *मिन्नी* के बजाए *मिन* कह कर क़ुरबानी करने वाले का तथा इन के पिता का नाम लें तथा इस प्रकार कहें *तक़ब्बल मिन फलाँ बिन फलाँ* इसी प्रकार *अन्नी* के बजाए *अन* कह कर क़ुरबानी करने वाले का तथा इन के पिता का नाम लें।

ज़िबा के समय खोट व ऐब पैदा हो तो क़ुरबानी का आदेश

ज़िबा के समय जानवर उछलने के कारण से यदि उस का पैर टट जाए या कोई भी खोट व खराबी उत्पन्न व पैदा हो जाए तो ये खोट व खराबी क़ुरबानी के लिए हानिकारक नहीं होता। यदि ज़िबा के समय उछलने-कूदने के कारण से जानवर में खोट व कमी आ जाए, इस के बाद जानवर हाथ से छूट जाए, फिर उसे तुरंत पकड़ लिया जाए, इस स्थिति में भी क़ुरबानी श्रेष्ठ है।

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 229 पर उल्लेख है।

जानवर की खाल कब निकाली जाए ?

जानवर की खाल निकालने के सिलसिले में ये हिदायत व मार्गदर्शन दी गई के जानवर ज़िबा करने के द इतनी देर प्रतीक्षा व इंतेज़ार किया जाए के जानवर का

www.Ziaislamic.com

शरीर ठण्डा हो जाए, भाग व अंग की हरकत सम्पूर्ण रूप से समाप्त हो तथा इस में जान बाखी ना रहे। अर्थात हदीस पाक वर्णन हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना मकहूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है के हज़रत रसूलउल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब ज़िबा करते तो गरदन अळग नहीं करते तथा ना खाल निकालते यहाँ तक के जानवर ठण्डा हो जाए।

(मबसूत सुरख़ी, जिल्द 11, पः 249)

इस प्रकार इंतेज़ार व प्रतीक्षा किए बिना चमड़ा निकालना मकरूह है जब के जानवर की जान ना निकली हो।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 300 पर उल्लेख है।

जानवर के कौनसे अंग व भाग खाना श्रेष्ठ नहीं

ज़बीहा से इन चीज़ों का खाना शरन नाजायज़ हैः-

(1)- बहता खून।

(2)- नर की शर्मगाह (जननांग)।

(3)- कपूरे (फ़ोते)।

(4)- नारी की शर्मगाह (जननांग)।

(5)- ग़रूद (शरीर के भीतर की गाँठ व पित्ताशय)।

(6)- फुकना (मुसाना व पेशाब की थैली)।

(7)- पित्ता (गांठ)।

(8)- हराम मग़्ज़।

www.Ziaislamic.com

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 219 में उल्लेख है।

अधिक फतावा आलमगिरी, जिल्द 06 पर उल्लेख है।

क़ुरबानी का जानवर ज़िबा करने से पूर्व इस से लाभ प्राप्त करना उदाहरण इस का दूध दोहना या इस पर बोझ लादना या सवार होना या इस को किराये पर देना, मकरूह है।

क़ुरबानी के हमल व गर्भ का आदेश

क़ुरबानी का जानवर *गाभुन* (गर्भवती) हो तथा इस का जन्म खरीब हो तो से जानवर का ज़िबा करना मकरूह है। यदि ज़िबा के बाद क़ुरबानी के जानवर से जीवित बच्चा निकले तो उसे ज़िबा किया जाए जिस प्रकार जानवर को ज़िबा किया जाता है।

यदि उसे ज़िबा ना किया जाए यहाँ तक के क़ुरबानी के दिन बीत जाएं तो जीवित ही सदखा (दान) कर दिया जाए। क़ुरबानी के दिन के बाद बच्चा चोरी हो जाए या उसे ज़िबा कर के खालें तो ऐसी स्थिति में उस की क़ीमत व राशि सदखा करना शरीअत के आधार में वाजिब व अनिवार्य है।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 302 पर उल्लेख है।

यदि क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी ना की जाए

किसी व्यक्ति पर क़ुरबानी वाजिब व अनिवार्य होने के बावजूद क़ुरबानी के दिनों में उस ने क़ुरबानी नहीं की, क़ुरबानी का जानवर नहीं खरीदा, तथा इसी प्रकार क़ुरबानी के दिन बीत गए तो क्यों के ये वाजिब व अनिवार्य क़ुरबानी है इस लिए

www.Ziaislamic.com

इस के ज़िम्मे से समाप्त नहीं होगी बल्कि उस के लिए क़ुरबानी की क़ीमत व मूल्य सदखा करना अवश्य है।

इस सिलसिले में दुर्रे मुक़तार, जिल्द 05, पः 226 में स्पष्टीकरण हैः-

भाषांतरः धनी व मालदार व्यक्ति ने क़ुरबानी नहीं की तथा क़ुरबानी के दिन बीत गए तो वह क़ुरबानी में दी जाने वाली एक बकरी की क़ीमत सदखा करे।

अर्थात जिस ने अपने व्यस्ता व कार्यरत के कारण या किसी और कारण से सामर्थ्य व योग्यता होने वाले के बावजूद, क़ुरबानी नहीं की वह एक जानवर की क़ीमत सदखा कर दें तथा अपनी शरई ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जाएँ।

गोश्त के 3 हिस्से

मुसतहब (प्रशंसनीय) ये है के क़ुरबानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएँ-

(1)- एक हिस्सा गरीबों में तक़सीम किया जाए।

(2)- एक हिस्सा नातेदार व रिश्तेदारों में तक़सीम किया जाए।

(3)- एक हिस्सा खुद उपयोग करें।

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 05, पः 300)

मृतक व मरहूमीन की ओर से क़ुरबानी पर गोश्त की तक़सीम

लोग अपनी ओर से क़ुरबानी करने के अतिरिक्त मृतक व मरहूमीन नातेदार, दादा, दादी, नाना, नानी की ओर से भी क़ुरबानी करते हैं। जिन के माता-पिता का देहान्त हो चुका है वह अपने माता-पिता की ओर से क़ुरबानी करने का प्रबन्ध करते हैं।

www.Ziaislamic.com

मरहूमीन व मृतक के ईसाले-सवाब (पुण्य को उपहार करना) के उद्देश्य से क़ुरबानी की जाए जब के उन्हों ने क़ुरबानी करने की वसीयत नहीं की थी तो जिस प्रकार अपनी क़ुरबानी के 3 हिस्से करने का आदेश है इसी प्रकार मृतक व मरहूमीन की ओर से की जाने वाली क़ुरबानी के भी 3 हिस्से किए जाएँ।

एक हिस्सा खुद खाएँ, एक नातेदारों को दें तथा एक गरीबों में बाँट दें। इसका पुण्य व सवाब मृतक व मरहूमीन के लिए होगा किन्तु इस हिस्से का मालिक वह व्यक्ति होगा जिस ने मरहूमीन व मृतक की ओर से क़ुरबानी की है।

यदि मरहूमीन व मृतक ने अपने जीवन में क़ुरबानी करने की वसीयत की थी तो ऐसी स्थिति में इन की ओर से क़ुरबानी करने वाला खुद स हिस्से में से नहीं खा सकता बल्कि ये हिस्सा सम्पूर्म रूप से इस को तक़सीम कर देना अवश्य है।

जैसा के रद्दुल मुहतार, जिल्द 05, पः 229 पर उल्लेख हैः-

भाषांतरः जिस ने मैयित व मृतक की ओर से क़ुरबानी की वह इसी प्रकार सदखा करे तथा खुद भी खाए जिस प्रकार अपनी क़ुरबानी में करता है किन्तु सवाब मैयित के लिए है तथा मिलकियत ज़िबा करने वाले की है।

सदर शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने कहाः शासनानुरूप राय ये है के यदि मैयित व मृतक के आदेश से क़ुरबानी किया हो तो नहीं खा सकता, वरना खा सकता है।

क़ुरबानी का गोश्त जमा करना

शुरु के 3 दिन से अधिक क़ुरबानी का गोश्त खाना मना था किन्तु बाद में सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आज्ञा प्रदान की के क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन के बाद भी उपयोग किया जा सकता है।

www.Ziaislamic.com

जैसा के सहीह बुखारी में हदीस पाक हैः-

भाषांतरः हज़रत सैयदना सलमा बिन अकवअ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से वर्णित है आप ने फरमाया के हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः जो व्यक्ति क़ुरबानी करे तो तीसरे दिन इस के घर में क़ुरबानी का कुछ हिस्सा भी बचा ना रहे, जब दुसरे वर्ष क़ुरबानी का समय आया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने निवेदन कियाः या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम! क्या हम इस वर्ष भी क़ुरबानी का गोश्त पिछले वर्ष के प्रकार उपयोग करें? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः क़ुरबानी का गोश्त तुम खाओ, दुसरों को खिलाओ तथा जमा कर लो। क्यों के पिछले वर्ष लोग कठिनाई में थे इसी लिए मैं (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने उद्देश्य किया के तुम क़ुरबानी के दिनों में इन की मदद व सहायता करो।

(सहीह बुखारी, जिल्द 02, पः 835, हदीस संख्याः 5569)

खादियानी से क़ुरबानी का गोश्त लेना?

सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पावन ज़ात से संबंधित नबूवत के अन्तिमता व नबूवत की मोहर का विश्वास के आप ही अंतिम नबी व पैगम्बर हैं आप के बाद कोई नबी व रसूल आने वाला नहीं है। (पैगम्बर)

ये इसलाम के बुनियादी व आधारिक विश्वास में से है जो क़ुरान मजीद व हदीसों के इबादुतल नस तथा उम्मत के संग्रहित से साबित है, जिस का इन्कार करना या इस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन व बदलाव करना स्पष्ट कुफ्र है।

अल्लाह तआला ने अपने पावन कलाम में आदेश कियाः

भाषांतरः मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे पुरुषों में से किसी के

www.Ziaislamic.com

पिता नहीं किन्तु वह अल्लाह तआला के रसूल हैं एवं सब पैगम्बरों के नबूवत के सिलसिले को अंत करने वाले हैं।

(सुरह अल अह्ज़ाबः 33:40)

सिहा सित्ता व सुनन (ह्दीस की पुस्तकों), मसनदों में इस विषय की माननीय व प्रमाणिय ह्दीसें उपलब्ध हैं जो उच्च माननीय का स्तर रखती हैं।

उदाहरण के रूप में सहीह बुखारी तथा जामेअ तिरमिज़ी से रिवायत वर्णन की जाती है, सहीह बुखारी में एक लम्बी ह्दीस में सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का आदेश हैः-

भाषांतरः परन्तु ये के मेरे बाद किसी भी प्रकार का कोई नबी नहीं आ सकता।

(सहीह बुखारी, जिल्द 02, पः 633, ह्दीस संख्याः 4154)

जामेअ तिरमिज़ी में ह्दीस पाक हैः-

भाषांतरः ह्ज़रत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आदेश कियाः निश्चय रिसालत व नबूवत वश्य अंत हो चुकी है मेरे सल्लल्लाहु तआला) बाद ना कोई नबी हो सकता है एवं न (अलैहि वसल्लमा कोई रसूल।

(जामेअ तिरमिज़ी, जिल्द 02, पः 53, ह्दीस संख्याः 2441)

जैसा के फतावा आलमगिरी, जिल्द 02, पः 263 पर उल्लेख हैः-

भाषांतरः यदि कोई व्यक्ति ये विश्वास ना रखे के ह्ज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंतिम नबी हैं तो वह मुसलमान ही नहीं।

क़ुरान व ह्दीस के आधार पर अरब व अजम, पूरब व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण के पूर्ण इसलाम के विद्वानों ने सर्वसम्मति व अनुकूलता मिरज़ा खादियानी एवं इस के पालन करने वालों को इसलाम के सीमा से बाहर एवं काफिर घोषित किया है।

अर्थात मिरज़ा गुलाम अह्मद खादियानी के अनुगामी व अनुयायी जो खादियानी कह्लाते हैं वह मुसलमान नहीं जब के ज़िबा के शर्तों में ज़िबा करने वाले का

www.Ziaislamic.com

मुसलमान होना बी एक शर्त है।

यदि ज़िबा करने वाला ग़ैरमुसलिम-, मुशरिक या मुरतद स्वधर्म भ्रष्ट व स्वधर्म) हो (त्यागीतो ज़बीहा हलाल नहीं होता। उपर्युक्त वर्णन विस्तार के आधार पर खादियानियों का ज़िबा किया हुआ हराम है।

इन की क़ुर्बानी शरन क़ुर्बानी नहीं एवं ना इन का ज़िबा शरन ज़िबा है इस का गोश्त खाना शरन जाइज़ नहीं। इसी प्रकार मुसलमानों के लिए जाइज़ नहीं के खादियानियों को क़ुर्बानी का गोश्त दें।

जैसा के फतावा आलमगिरी, किताब उज़ ज़िबाह में इस का विस्तार उल्लेख है।

क़ुरबानी के चमड़े का उपयोग कैसे करें ?

क़ुरबानी का गोश्त या क़ुरबानी का चमड़ा क़स्साब को मज़दूर के रूप में देना श्रेष्ट नहीं। यदि क़ुरबानी के चमड़े का बदलाव सी चीज़ से किया जाए जो उपयोग करने से समाप्त हो जाती है तो सी चीज़ से चमड़े का बदलाव व अदल-बदल कर के वह चीज़ उपयोग करना शरन जायज़ नहीं जैसे पैसे के बदले चमड़ा देना।

स्पष्ट है के पैसे उसी समय उपयोग किए जा सकते हैं जब वह किसी को दे कर उसके बदले माँगी हुई चीज़ प्राप्त की जाए। अर्थात पैसे के बदले चमड़े का लेन-देन व अदल-बदल कर के पैसे उपयोग करना शरीअत के आधार में श्रेष्ठ नहीं।

चमड़े का लेन-देन पैसे के बदला किया जाए तो इस के पैसे दरिद्रों व निर्धनों तथा ज़रूरतमंदों को देना अवश्य है, इस स्थिति में इस का आदेश वही है जो सदखे फित्र का है यथा दरिद्र व निर्धन लोगों को इसका मालिक बनाना, इस बिना पर चमड़े के पैसे गरीब व नादार बच्चों तथा ज़रूरतमंद विधवा महिलाओं को दी जा सकती है जब के वह सैयदा (सादात- सरकार पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आल व वंश) ना हों एवं अधिक धार्मिक मदरसों व विद्यालय के ज़रूरतमंद छात्रों को देना, जायज़ व श्रेष्ठ है बल्कि उच्च व मुसतहब (प्रशंसनीय) है तथा दोहरे (दुगना) सवाब का माध्यम है।

www.Ziaislamic.com

एक तो ज़रूरतमंद व निर्धन को पहुँचाने का सवाब, दुसरे धार्मिक व दीनी शिक्षा में योगदान तथा धर्म के ज्ञान की प्रचार व प्रसारण का सवाब।

क्यों के दरिद्र व निर्धन लोगों को इसका मालिक बनाना अवश्य है इस लिए ये जायज़ नहीं के क़ुरबानी के चमड़े को मसजिदों के निर्माण में, इमाम व मोज़्ज़िन की तनख्वाह व वतेन में, अध्यापकों के इसलामी भाषणों के वास्ते, धार्मिक जलसों के प्रबन्ध के ले, अध्यक्षों व खतीबों के नज़रानों में, सामाजिक सेवाओं के परिणाम के ले तता मुसलिम मुरदों की तकफीन व दफननाने में किया जाए, क्यों के इन सम्पूर्ण परिस्थितियों में बिना किसी बदले के किसी निर्धन व दरिद्र को मालिक बनाए जाने का तात्पर्य नहीं पाया जा रहा है, इस लिए ये श्रेष्ठ नहीं।

क़ुरबानी के चमड़े को अपनी असली अवश्यकता पर बाखी रखते हुए उपयोग किया जाए तो पावन शरीअत में इसी आज्ञा है जैसे इस से मटका, जानिमाज़, टोपी, कोट या दस्तरख्वान आदि बना लें तो कोई समस्या नहीं। इसी प्रकार क़ुरबानी के चमड़े के बदले अन्य कोई ऐसी चीज़ लेना श्रेष्ठ है जो उपयोग करने पर भी जैसी की वैसी बाखी रहती हो जैसे किताब व पुस्तक आदि।

क़ुरबानी के चमड़े किसी काम के बिना व बदले नहीं दी जा सकती अर्थात क़स्साबों की मज़दूरी में चमड़े देना शरन जायज़ नहीं।

जैसा के दुर्रे मुक़तार, जिल्द 05, पः 231 पर उल्लेख हैः-

भाषांतरः क़ुरबानी के चमड़े को सदका किया जाए या इस से थैली, मटका, दस्तरख्वान तथा डोल जैसी चीज़ें बना ली जाए, या इसको ऐसी चीज़ से बदल दिया जाए जो बाखी रहती हो, उपयोग के कारण से समाप्त होने वाली चीज़ों से बदलना जायज़ नहीं जैसे दिरहमों, यदि गोश्त या चमड़े के पैसे के बदले लेन-देन किया है तो इसी की राशि व क़ीमत दान कर दें.

www.Ziaislamic.com

सामान्यतः क़ुरबानी के चमड़े को लेन-देन (अदल-बदल) किया जाता है तथा लेन-देन करने की परिस्थिति में इस के पैसे दान व सदखा करना वाजिब व अनिवार्य हो जाता है इस लिए वह निर्धन व दरिद्र लोगों को देना अवश्य है, यदि क़ुरबानी के चमड़े के पैसे इस सही व उचित जगह पर नहीं पहुँचाई जाए तो क़ुरबानी प्रभावित व असर पर हो जाती है।

अल्लाह तआला से दुआ है के हमें तथा सम्पूर्ण इसलाम जाति को आपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व वास्ते इक़लास व लिल्लाहियत के साथ क़ुरबानी करने की मार्गदर्शन व तौफ़ीक़ प्रदान करे, तथा क़ुरबानियों को स्वीकार करे।

आमीने

www.Ziaislamic.com